schemes through local newspapers.. Rural branches of the public sector banks are also observing one day a week as a nonbusiness day to improve their interface with their clientele.

Spurt in the activities in insurgents in North East Region

1623. SHRI S. C. JAMIR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the recent spurt in incidents of robberies ambushes and killings by the insurgents in North East region have been brought to the notice of the Central Government;

(b) if so, which are the insurgent groups involved in these incidents; and

(c) what is the declared policy of the Centra". Government to deal with insurgency in the North-Eastern region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and Metei Organisations, namely, PLA, PREPAK, etc. have been active in Manipur and Nagaland. The activities of TNV in Tripura are under control since February 5, 1988.

(c) The policy of the Government is to deal firmly with the activities of extremist groups. However, if any such group in the North East is willing to have a peaceful solution through negotiations, Government's policy in this regard is that it should fulfil the two pre-conditions namely, (i) It should accept the constitution of India; and (ii) It should stop its violent activities.

आयकर की बकाया धनराशि

1624. **श्रीमती रत्न कुमारी :**
डा० रत्नाकर पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1988 तक व्यक्तियों और कंपनियों पर कुल कितनी धनराशि का आयकर बकाया था ;

(ख) उन पहले दस बड़े औद्योगिक घरानों के नाम क्या क्या हैं जिन पर आयकर बकाया था तथा उनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि का आयकर बकाया था ; और

(ग) सरकार आयकर की बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : दिनांक 31-12-1987 की स्थिति के अनुसार 3179.34 करोड़ रुपये की राशि आयकर मांग के रूप में बकाया थी जिसमें से 1270.41 करोड़ रुपये की राशि अभी अदायगी के लिए देय नहीं हुई थी । दिनांक 31-3-88 की स्थिति अनुसार बकाया राशि के अनन्तिम आंकड़े 3993.56 करोड़ रुपये है । इसमें से दिनांक 31-3-1988 को अदायगी के लिए देय राशि आंकड़े इस समय तैयार नहीं हैं ।

(ख) संगत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । (नीचे देखिये) ।

(ग) चूककर्ताओं से बकाया आयकर को वसूल करने के लिये की जाने वाली कार्यवाहियों में ये भी शामिल हैं:—अर्थदंड लगाना, अन्य पक्षों को उनके द्वारा चूककर्ताओं को देय राशि को चुकता करने के लिये धारा 226 (3) के अन्तर्गत गार्निशी आदेश जारी करना, वसूली प्रमाण पत्र जारी करना ताकि कर-वसूली-अधि-